प्राक्कथन

प्राक्कथन

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत झारखण्ड के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है।

इस प्रतिवेदन में झारखण्ड सरकार के अंतर्गत राज्य-सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों सहित सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्रों के विभागों की लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वैसे हैं जो 2020-21 की अवधि के लिए लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए थे और साथ ही साथ वैसे जो पूर्व के वर्षों में ध्यान में आए थे परंतु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किए जा सके थे। वर्ष 2020-21 के बाद की अवधि से संबंधित दृष्टान्त भी आवश्यकतानुसार सम्मिलित किए गए हैं।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों और लेखापरीक्षा एवं लेखाओं पर विनियमों के अनुरूप आयोजित की गई है।